

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 1310/07

संस्थापन दिनांक:-15/02/07

फायलिंग नं. 233504000292007

मध्यप्रदेश राज्य  
द्वारा आरक्षी केन्द्र बोरदेही,  
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

राजू पिता बाबूलाल लोहार  
उम्र 26 वर्ष, निवासी कुटकुई,  
थाना नवेगांव, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 24.10.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 28.01.2007 को दोपहर 03:30 बजे या उसके लगभग जानकीबाई के मकान के सामने हरन्या थाना बोरदेही जिला बैतूल के अंतर्गत आहत अनिताबाई के साथ झूमा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 28.01.2006 को फरियादी रघुनाथ ने अनिताबाई के साथ थाना बोरदेही आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वे हरन्या में उनकी आजी मां की तेरहवीं में आये थे। करीब 03:30 बजे जानकीबाई के मकान के सामने राजू ने अनिताबाई को साथ में चलने के लिए बोला तो अनिता ने साथ में चलने से मना कर दिया। इसी बात पर से अभियुक्त ने अनिताबाई को झूमा झटकी कर गिरा दिया और लात से मारा। जब वह बीच बचाव करने गया तो अभियुक्त ने उसके साथ भी झूमा झटकी कर मुंह से बांये पैर की जांघ में चाब दिया। अभियुक्त ने उसे बांये नाक के पास लोच दिया तथा अनिता को मुंह के नीचे ओट में चोट आयी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में रोजनामचा सान्हा 796 में दर्ज कर फरियादी एवं आहत का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात थाना बोरदेही में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क. 22/06 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना

पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में फरियादी रघुनाथ का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप धारा 324 भा.द.सं. का अपराध दिनांक 31.12.2009 के पूर्व न्यायालय की अनुमति से शमनीय होने से अभियुक्त को धारा 323 (एक काउंट में), धारा 324 भा.द.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त का आहत अनिता से राजीनामा न होने के कारण आहत अनिता के संबंध में अभियुक्त का धारा 323 (एक काउंट में) विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उसका कहना है कि वह निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2007 को दोपहर 03:30 बजे या उसके लगभग जानकीबाई के मकान के सामने हरन्या थाना बोरदेही जिला बैतूल के अंतर्गत आहत अनिताबाई के साथ झूठा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की। ?”

### **॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥**

6 अनिता (अ.सा.-3) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसकी दादी का तेरव्ही का कार्यक्रम था। तभी अभियुक्त राजू ने घर चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। मना करने पर अभियुक्त ने उसके साथ मारपीट की। रघुनाथ (अ.सा.-5) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त से उसकी दो-दो बात हो गयी थी। गुस्से में आकर उसने रिपोर्ट लिखायी थी। संपत (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना 6-7 वर्ष पुरानी होकर उसके घर के सामने की है। उसके घर में तेरव्ही का कार्यक्रम था जिसमें अभियुक्त और फरियादी दोनों आये थे। तभी अभियुक्त राजू अनिता के साथ मारपीट करने लगा था।

7 एस.डी. राजपूत (अ.सा.-4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 30.01.2007 को थाना बोरदेही में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क्र. 22/07 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने घटना का मौका नक्शा (प्रदर्श पी-2) तैयार किया था तथा दिनांक 06.02.2006 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-3) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया था। साक्षी ने उपर्युक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है।

8 अनिता (अ.सा.-3) एवं संपत (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में

अभियुक्त राजू के द्वारा अनिता को मारना बताया है। प्रतिपरीक्षण में अनिता ने यह बताया है कि अभियुक्त उसका पति है। वह उससे अलग रहती है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त राजू उसे अच्छे से नहीं रखता है इस बात की उसे रंजिश है। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त ने उसे कहा था कि साथ में चलो और उसने मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगी इसी बात की रिपोर्ट उसने थाने में की थी। उसे बाद में पता चला था कि उसके भाई का और उसके पति का विवाद हो गया था। संपत (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त ने रघुनाथ को दो-तीन चांटे मारे थे।

9 गुलाब (अ.सा.-1) जो कि प्रकरण का स्वतंत्र साक्षी है उसने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन के समर्थन में कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। फलतः इस साक्षी की साक्ष्य से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

10 प्रकरण में साक्षी अनिता एवं संपत के कथनों में पर्याप्त विरोधाभास है। फरियादी अनिता को कोई प्रत्यक्षदर्शी चोट भी नहीं आयी है। साक्षी अनिता अपने कथनों पर स्थिर भी नहीं है और न ही अभियोजन कथा के अनुरूप न्यायालय में कथन किये हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 28.01.2007 को दोपहर 03:30 बजे या उसके लगभग जानकीबाई के मकान के सामने हरन्या थाना बोरदेही जिला बैतूल के अंतर्गत आहत अनिताबाई के साथ झूमा झटकी कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त राजू को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

11 अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध है। अतः उसके जेल वारंट में अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो रिहा किया जावे की टीप अंकित कर जेल वारंट अधीक्षक जिला जेल छिन्दवाड़ा प्रेषित किया जावे।

12 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

